



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

एफ.15(09)पंरावि/विधि/विविध/2025/ई-54050

जयपुर, दिनांक :-

अधिसूचना

विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ.15(2)प्रशासक/विधि/पंरा/2025/05 दिनांक 16.01.2025, क्रमांक 200 दिनांक 11.03.2025, क्रमांक 755 दिनांक 23.09.2025, क्रमांक 11 दिनांक 22.01.2026 के द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा-95 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा, राज्य की ऐसी ग्राम पंचायतें जिनका कार्यकाल क्रमशः दिनांक 31.01.2025, 31.03.2025, 15.10.2025, 24.01.2026 तक समाप्त हो रहा था तथा उनके चुनाव अपरिहार्य कारणों से सम्पन्न नहीं हो पा रहे थे, ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में संबंधित ग्राम पंचायत के निवर्तमान सरपंच को प्रशासक नियुक्त करने एवं ग्राम पंचायतों के कार्यकलापों के सुचारु संचालन की दृष्टि से प्रशासक की सहायतार्थ प्रत्येक ऐसी ग्राम पंचायत के लिए प्रशासकीय समिति का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया था। इस प्रशासकीय समिति में ग्राम पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व वे व्यक्ति जो संबंधित ग्राम पंचायत के उप सरपंच एवं वार्ड पंच रहे हैं, सदस्य बनाये गये। अधिनियम की धारा-98 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा समस्त जिला कलेक्टरों को अपने जिले की संबंधित ग्राम पंचायतों में उनका कार्यकाल समाप्त होने की तिथि से उक्तानुसार प्रशासक नियुक्त करने एवं प्रशासकीय समितियों का गठन किये जाने हेतु अधिकृत किया गया था।

उपरोक्तानुसार नियुक्त किये गए प्रशासकों में से यदि किसी प्रशासक द्वारा त्याग-पत्र दिया जाता है तो संबंधित जिला कलेक्टर को उक्त त्याग-पत्र स्वीकार करते हुए, उसके स्थान पर संबंधित ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी को प्रशासक नियुक्त किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रशासक की कार्यावधि नवनिर्वाचन के पश्चात् गठित ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती दिन तक निर्धारित की जाती है।

आज्ञा से,

(डॉ० जोगा राम)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।

Signature valid

RajKaj Ref No.:
25014150

M e-Sign



Digitally signed by Joga Ram
Designation: Secretary To
Government
Date: 2026.10.12 22:02:18 IST
Reason: Approved

4. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
9. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
10. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
11. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान।
12. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति, राजस्थान।
13. एसीपी कम उप निदेशक, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव एवं आयुक्त

RajKaj Ref No.:
25014150

M e-Sign

Signature valid

Digitally signed by Joga Ram
Designation: Secretary To
Government
Date: 2026.10.12 22:02:18 IST
Reason: Approved